



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02012023-241584
CG-MH-E-02012023-241584

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]
No. 1]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 2, 2023/पौष 12, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 2, 2023/PAUSHA 12, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 30 दिसम्बर, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/111.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 में, -
 - I. विनियम 2 में,
 - i. उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(1) ये विनियम अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी पर और अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के तहत बोर्ड में स्थानांतरित किए गए प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी पर लागू होंगे:

परंतु यह कि ये विनियम अस्थायी रूप से या कॉण्ट्रैक्ट (संविदा) आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, जब तक कि इन विनियमों में अन्यथा कोई उल्लेख न किया गया हो या जैसा बोर्ड द्वारा खास तौर पर या आम तौर पर तय किया जाए।”

ii. उप-विनियम (2) हट जाएगा।

II. विनियम 3 में,

i. उप-विनियम (1) में, खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(ड) “सक्षम प्राधिकारी” का अर्थ है,

(i) अधिकारियों के मामले में, अध्यक्ष, हालाँकि जिस मामले में इन विनियमों के तहत कार्रवाई अध्यक्ष द्वारा की जानी हो या शक्ति का प्रयोग अध्यक्ष द्वारा किया जाना हो उस मामले में बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य या कार्यपालक निदेशक, बशर्ते कि उन्हें शक्तियाँ सौंपी जाएं।

(ii) अन्य सभी कर्मचारियों के मामले में, संबंधित कार्यपालक निदेशक, हालाँकि जिस मामले में इन विनियमों के तहत कार्रवाई कार्यपालक निदेशक द्वारा की जानी हो या शक्ति का प्रयोग कार्यपालक निदेशक द्वारा किया जाना हो उस मामले में कार्यपालक निदेशक से नीचे के स्तर का कोई अधिकारी, बशर्ते कि उसे शक्तियाँ सौंपी जाएं।”

ii. उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(3) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, जहाँ पुरुषवाचक शब्दों का संदर्भ हो उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उनका आशय अपेक्षानुसार महिलाओं और उभयलिंगी व्यक्तियों के संदर्भ में भी है, और जहाँ एकवचन शब्दों का संदर्भ हो उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उनका आशय अपेक्षानुसार बहुवचन शब्दों के संदर्भ में भी है।”

III. विनियम 5 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(1) इन विनियमों के प्रावधानों के अध्यक्षीन, इन विनियमों को कार्यान्वित करने की शक्ति अध्यक्ष के पास है, जिनके पास ऐसे प्रशासनिक अनुदेश जारी करने भी शक्ति है जो इन विनियमों के प्रयोजनार्थ जरूरी हों या फिर कर्मचारियों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण रखने के लिए जरूरी हों, और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा तथा कर्मचारियों के लिए बाध्य होगा।”

IV. विनियम 6 में, उप-विनियम (4) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(ख) भर्ती का माध्यम, शैक्षणिक और अन्य योग्यताएँ (अर्हताएँ), आयु सीमा, अनुभव और बोर्ड की सेवा में भर्ती से जुड़े अन्य प्रावधान वैसे ही होंगे, जैसा अनुसूची में उल्लेख किया गया है।”

V. विनियम 13 में,

i. उप-विनियम (1) में, मौजूदा परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक आ जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि बोर्ड किसी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु पूरी होने या सेवा के 30 वर्ष पूरे होने (जो भी पहले हो) पर या उसके बाद कभी भी तीन महीने की लिखित सूचना (नोटिस) देकर सेवानिवृत्त कर सकेगा, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गई प्रक्रिया विधिवत रूप से अपनाई जाएगी।”

ii. उप-विनियम (6) और उसके शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम और शीर्षक आ जाएगा, अर्थात्,-

“बॉण्ड (बंधपत्र) भरवाना, आदि

(6) इन विनियमों में दी हुई किसी भी बात के होते हुए भी, बोर्ड को किसी कर्मचारी से वचन लेने / बॉण्ड भरवाने का अधिकार होगा, ताकि उससे उस स्थिति में पैसा भरवाया जा सके जब उस कर्मचारी को प्रशिक्षण पर भेजे जाने पर खर्चा हुआ हो या फिर जब वह कर्मचारी किसी पद पर

अपेक्षानुसार न्यूनतम वर्षों तक अपना सेवाकाल पूरा न करे, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किया जाए।”

VI. विनियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(16) सभी पदोन्नतियों, अपग्रेडेशन (ग्रेड बढ़ाना) और स्विच-ओवर (पदांतरण) बोर्ड के विवेकाधिकार पर किए जाएँगे, और जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई नीतियों के अनुसार किए जाएँगे।”

VII. विनियम 36क में,

i. शीर्षक में, शब्द और चिह्न “महिला कर्मचारियों के लिए -” हट जाएँगे;

ii. उप-विनियम (1) में,

क. खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(क) जिस कर्मचारी की बोर्ड की सेवाओं में पुष्टि हो चुकी हो और जिसने बोर्ड में सेवा के पाँच वर्ष पूरे कर लिए हों, वह कर्मचारी कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है:

परंतु यह कि सेवा के पाँच वर्ष पूरे होने से पहले कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी की मंजूरी असाधारण परिस्थितियों में उप-विनियम (2) में उल्लिखित प्रयोजनों से, ऐसे कर्मचारी द्वारा आवेदन किए जाने पर और उप-विनियम (4) के अनुसार मंजूरी प्रदान करने वाले प्राधिकारी की सिफारिश पर, दी जा सकेगी;”

ख. खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(घ) कर्मचारी उप-विनियम (4) के अनुसार मंजूरी प्रदान करने वाले प्राधिकारी की मंजूरी के बिना कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी पर नहीं जाएगा;”

ग. खंड (ङ) में और खंड (ड) के उप-खंड (iii) में, शब्द “महिला” हट जाएगा;

घ. खंड (ड) के उप-खंड (v) में शब्द “आती” के स्थान पर शब्द “आते” आ जाएगा।

iii. उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी का प्रयोजन

(2) जो कर्मचारी उप-विनियम (1) के तहत पात्र हो, वह कर्मचारी परिवार या बच्चों (संतान) की देखभाल करने के प्रयोजनार्थ अथवा स्वयं के या परिवार के आश्रित सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी आधारों पर, कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेगा।”

iv. उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी के लिए मंजूरी प्रदान करने वाला प्राधिकारी

(4) ग्रेड ‘डी’ और उससे ऊपर के ग्रेड में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी के संबंध में मंजूरी प्रदान करने वाला प्राधिकारी, उस संबंधित विभाग का प्रभारी पूर्णकालिक सदस्य होगा जहाँ ऐसा कर्मचारी सेवारत हो, और अन्य मामलों में, मंजूरी प्रदान करने वाला प्राधिकारी उस संबंधित विभाग का प्रभारी कार्यपालक निदेशक होगा जहाँ ऐसा कर्मचारी सेवारत हो।”

v. उप-विनियम (5) में,

क. खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(च) कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी (जिसकी मंजूरी दी गई हो) की अवधि पूरी होने से पहले, कर्मचारी मंजूरी प्रदान करने वाले प्राधिकारी की अनुमति लिए बिना कार्य पर नहीं लौटेगा;”

ख. खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(झ) जो कर्मचारी कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी की अवधि के दौरान त्यागपत्र देकर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर बोर्ड की सेवाओं को छोड़ता है, वह कर्मचारी बोर्ड को प्रतिकर (मुआवजा), जो इन विनियमों के अनुसार यथा अपेक्षित नोटिस की अवधि हेतु उसके अधिष्ठायी वेतन के बराबर की राशि होगी, अदा करने का दायी होगा;”

ग. खंड (झक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(झक) जो कर्मचारी कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी की अवधि के दौरान या ऐसी छुट्टी लेने के बाद फिर से कार्यभार ग्रहण करने के बाद पाँच वर्षों के भीतर त्यागपत्र देकर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर बोर्ड की सेवाओं को छोड़ता है, वह कर्मचारी ऐसी छुट्टी के दौरान अदा किए गए मकान भत्ते की पूरी रकम तथा चिकित्सा संबंधी दावों हेतु अदा की गई पूरी रकम के बराबर की रकम बोर्ड को अदा करने का दायी होगा:

परंतु यह कि जरूरी दस्तावेजी सबूतों के आधार पर, बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल ऑफिसर) द्वारा की गई जाँच-पड़ताल के आधार पर और बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद, उस कर्मचारी को उपरोक्त रकम अदा करने से छूट दी जा सकेगी, जिसने स्वयं के स्वास्थ्य संबंधी आधारों पर (अपनी अस्वस्थता के आधार पर) कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी ली हो और उसी वजह से वह फिर से कार्यभार ग्रहण न कर पा रहा हो;”

घ. खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(ज) बोर्ड कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी को रद्द कर सकेगा और कर्मचारी को वापस बुला सकेगा तथा मामले में आगे कार्यवाही कर सकेगा जैसी उचित समझी जाए, यदि यह पाया जाता है कि ऐसा कर्मचारी, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई व्यापार (ट्रेड) या नौकरी (नियोजन) या कारबार या व्यवसाय कर रहा है अथवा किसी व्यापार (ट्रेड) या नौकरी या कारबार या व्यवसाय में लगा हुआ है;”

ड. खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(ड) कर्मचारी कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी की अवधि के दौरान, यथास्थिति, किसी तहकीकात (अन्वेषण), न्यायालय के मामले, विभागीय जाँच या ऐसी किसी अन्य कार्यवाही में गवाह के रूप में स्वयं हाजिर रहेगा और उसे यात्रा तथा विराम भत्ता अदा किया जाएगा;”

च. खंड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(ढ) बोर्ड, अत्यावश्यकताओं के मामले में, किसी भी समय कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी को रद्द कर सकेगा और कर्मचारियों को वापस बुला सकेगा;”

छ. खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(त) जो कर्मचारी कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी पर हो, वह कर्मचारी अचल या चल या मूल्यवान संपत्ति की विवरणी प्रस्तुत करेगा, जो भी देना अपेक्षित हो;”

ज. खंड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(थ) कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी लेने वाला कर्मचारी बोर्ड को, पत्र-व्यवहार हेतु अपना स्थानीय पता सूचित करेगा और समय-समय पर उस पते में होने वाले बदलाव की जानकारी भी देता रहेगा।”

VIII. विनियम 38 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(3) बोर्ड का जो कर्मचारी इन विनियमों के विनियम 10 के उप-विनियम (1) के अनुसार परिवीक्षा (प्रोवेशन) की अवधि पूरी होने पर, विनियम 12 के अनुसार त्यागपत्र की समुचित सूचना देने के बाद बोर्ड की सेवाओं से त्यागपत्र देता हो, उसे त्यागपत्र देने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार उसके खाते में पड़ी

साधारण छुट्टी की अवधि में से आधी अवधि को भुनाने की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि अधिकतम पाँच महीने तक की ही साधारण छुट्टी भुनाई जा सकेगी।"

IX. विनियम 40 में, उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम (5) और (6) जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

"(5) 'अपने बच्चे को जन्म देने के लिए किसी दूसरी महिला के गर्भ का प्रयोग करने वाली माता' (अधिकृत माता), जिसके दो से कम जीवित बच्चे (संतान) हों, और जो लागू कानूनी प्रक्रिया अपनाकर ऐसा करती हो, को प्रसूति छुट्टी हेतु मिलने वाली 360 दिनों की अधिकतम छुट्टी में से 180 दिनों तक की अवधि की प्रसूति छुट्टी दी जा सकेगी।

स्पष्टीकरण 1. - 'अपने बच्चे को जन्म देने के लिए किसी दूसरी महिला के गर्भ का प्रयोग करने वाली माता' (अधिकृत माता) की परिभाषा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, 1961) [1961 का 53] की धारा 3(खक) [3(बीए)] में कुछ इस प्रकार दी हुई है - वह जैविक माता, जो अपने अंडे से बने भ्रूण के विकास हेतु किसी दूसरी महिला के गर्भ का प्रयोग करती है।

स्पष्टीकरण 2. - इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, प्रसूति छुट्टी की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी, जिस तारीख से 'अपने बच्चे को जन्म देने के लिए किसी दूसरी महिला के गर्भ का प्रयोग करने वाली माता' (अधिकृत माता) को बच्चा सौंप दिया जाता है।

(6) जिस महिला कर्मचारी के दो से कम जीवित बच्चे हों, उसे, लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष से कम की आयु का बच्चा गोद लेने पर, प्रसूति छुट्टी हेतु मिलने वाली 360 दिनों की अधिकतम छुट्टी में से 180 दिनों की प्रसूति छुट्टी प्रदान की जा सकेगी, और यह छुट्टी उस तारीख से मिल सकेगी जिस तारीख से उसे बच्चा सौंप दिया जाता है:

परंतु यह कि कर्मचारी को बोर्ड के पास गोद लेने के उद्देश्य से बनाया गया दस्तावेज (अडॉप्शन डीड) या ऐसा कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, जो बोर्ड द्वारा मांगा जाए।"

X. विनियम 40 में, उप-विनियम (2) के बाद और उप-विनियम (3) से पहले, निम्नलिखित उप-विनियम (2क) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(2क) जिस पुरुष कर्मचारी के दो से कम जीवित बच्चे हों और जहाँ वह सरोगेसी की वजह से पिता बना हो, उसे भी पंद्रह दिनों की पितृत्व छुट्टी प्रदान की जा सकेगी, और यह छुट्टी उस तारीख से छह महीनों की अवधि के भीतर मिल सकेगी जिस तारीख से उसे बच्चा सौंप दिया जाता है।"

XI. विनियम 53 में,

i. शीर्षक में, शब्द "प्रेस को योगदान" के स्थान पर, शब्द "प्रिंट, सोशल और डिजिटल / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या आम जनता के लिए उपलब्ध किसी अन्य मीडिया में दी जाने वाली जानकारी आदि के संबंध में" आ जाएंगे;

ii. उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(1) कोई भी कर्मचारी प्रिंट, सोशल और डिजिटल / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या आम जनता के लिए उपलब्ध किसी अन्य मीडिया में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना जानकारी आदि नहीं दे सकेगा अथवा ऐसी मंजूरी के बिना किसी ऐसे दस्तावेज, कागज आदि या जानकारी को सार्वजनिक या प्रकाशित नहीं कर सकेगा जो उसे अधिकारी की हैसियत से मिले।"

iii. उप-विनियम (2) के परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि जहाँ कहीं भी किसी प्रिंट, सोशल और डिजिटल / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या आम जनता के लिए उपलब्ध किसी अन्य मीडिया में कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली जानकारी आदि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी मंजूरी प्रदान की जाती हो, वहाँ वह इस आशय का दावात्याग (डिस्क्लेमर) देगा कि उसके द्वारा व्यक्त किए विचार उसके अपने हैं और बोर्ड इनका समर्थन आदि नहीं करता।"

XII. विनियम 64 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“निवेश पर प्रतिबंध

64. कोई भी कर्मचारी कमोडिटी डेरिवेटिव, इक्विटी और इक्विटी से जुड़े लिखतों (इंस्ट्रूमेंट्स) [जिनमें संपरिवर्तनीय (कन्वर्टिबल) डिबेंचर और वारंट शामिल हैं] में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई निवेश नहीं करेगा, हालाँकि वह म्यूचुअल फंडों की यूनियों, असंपरिवर्तनीय बॉण्डों (नॉन-कन्वर्टिबल बॉण्ड) और असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों (नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर), तथा उन शेयरों के संबंध में लाए जाने वाले राइट्स इश्यू (साधिकार निर्गम) में निवेश कर सकेगा जो उसके पास पहले से ही हों। ये प्रतिबंध इन पर लागू होंगे :

- (i) कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले निवेश पर;
- (ii) कर्मचारी के आश्रित बच्चों या उन बच्चों द्वारा किए जाने वाले निवेश पर जिनका कर्मचारी अभिभावक हो;
- (iii) कर्मचारी के पति या पत्नी, आश्रित बच्चों, आश्रित माता-पिता और आश्रित सास-ससुर द्वारा किए जाने वाले उस निवेश पर, जिसके लिए उसने या उन्होंने पैसा कर्मचारी से लिया हो।”

XIII. विनियम 66 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,—

“(1) प्रत्येक कर्मचारी अपनी आस्तियाँ (असेट्स) और देनदारियाँ घोषित करेगा, जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) में समय-समय पर उल्लेख किया जाए:

परंतु यह कि जब तक लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) के तहत यह उल्लेख न कर दिया जाए कि घोषणा कैसे करनी है, तब तक कर्मचारी अपनी आस्तियाँ और देनदारियाँ उस तरह से घोषित करेंगे जैसा सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से समय-समय पर बताया जाए।”

XIV. विनियम 93 में,

- i. उप-विनियम (2क) में, शब्दों “जिस कर्मचारी ने” के स्थान पर शब्द “ऐसे मामले में जहाँ कर्मचारी ने” आ जाएंगे;
- ii. उप-विनियम (2क) के पहले परंतुक में, शब्द “नियम” के स्थान पर शब्द “स्कीम” आ जाएगा।

XV. विनियम 96 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“वे घोषणाएँ जिन पर कर्मचारी को हस्ताक्षर करने होंगे

96. प्रत्येक कर्मचारी जिस पर ये विनियम लागू होते हैं या जो इन विनियमों के दायरे में आने का विकल्प चुनता है, उसे इन विनियमों के परिशिष्ट में दिए गए फॉर्म-क से फॉर्म-ग में दी गई घोषणाओं पर हस्ताक्षर करने होंगे।”

XVI. विनियम 96 के बाद, निम्नलिखित विनियम 97 जोड़ा जाएगा, अर्थात्,—

“निरसन और व्यावृत्ति

97. (1) इन विनियमों के लागू होने की तारीख से ही —

(क) बोर्ड के मौजूदा पूर्णकालिक कर्मचारियों की सेवा से संबंधित शर्तें आदि इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित हो जाएंगी;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेवा विनियम, 1988 निरसित हो जाएंगे।

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेवा विनियम, 1988 के निरसित हो जाने पर भी, उनके तहत की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के वैसे ही प्रावधानों के तहत की गई है।”

XVII. अनुसूची में,

- i. कॉलम 4, जिसका शीर्षक “पदोन्नति के लिए सेवाकाल” है, हट जाएगा;

- ii. पंक्ति 1 और 2 में, कॉलम 2 में, शब्दों और चिह्नों “किसी प्रवर्ग (श्रेणी) [अर्थात् आंतरिक तथा प्रतिनियुक्ति / संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) आधार पर] में अभ्यर्थी (उम्मीदवार) उपलब्ध न होने की दशा में, पद अन्य प्रवर्गों से भरा जा सकेगा।” के स्थान पर शब्द और चिह्न “यदि दोनों श्रेणियों (प्रवर्गों) [अर्थात् आंतरिक या प्रतिनियुक्ति / संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) श्रेणी] में से किसी भी श्रेणी में कोई उम्मीदवार (अभ्यर्थी) उपलब्ध न हो, तो ऐसे में किसी एक श्रेणी का रिक्त पद दूसरी श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार से भरा जा सकेगा।” आ जाएँगे;
- iii. पंक्ति 3 में, कॉलम 2 में, शब्दों “प्रतिनियुक्ति एवं आंतरिक पदोन्नति” के स्थान पर शब्द और चिह्न “(क) पदोन्नति; (ख) प्रतिनियुक्ति” आ जाएँगे;
- iv. पंक्ति 4 में, कॉलम 2 में, शब्दों “सीधी भर्ती तथा आंतरिक पदोन्नति” के स्थान पर शब्द और चिह्न “(क) पदोन्नति; (ख) सीधी भर्ती” आ जाएँगे; और
- v. सारणी के बाद, खंड 1 में, शीर्षक में दिए हुए शब्दों और चिह्न “साधारण / शिथिलीकरण” के स्थान पर शब्द और चिह्न “सामान्य / झूट” आ जाएँगे, और इस शीर्षक के अंतर्गत, उप-खंड (क) हट जाएगा और उप-खंड (ख), (ग) एवं (घ), क्रमशः उप-खंडों (क), (ख) एवं (ग) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएँगे।

बबीता रायडु, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./528/2022-23]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001, का.आ. सं. 857(अ), 6 सितम्बर 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. वे तत्पश्चात् -
 - (क) 23 दिसम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2003, फा.सं. भाप्रविबो/विधि/15/2003, द्वारा
 - (ख) 25 मई 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2004, का.आ. सं. 623(अ), द्वारा
 - (ग) 11 अप्रैल 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2007, फा.सं. 11/एल सी/जी एन/2006/2143, द्वारा
 - (घ) 14 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2009-10/28/190983, द्वारा
 - (ङ) 12 अक्टूबर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2010-11/17/22954, द्वारा
 - (च) 10 अक्टूबर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2011-12/26/31671, द्वारा
 - (छ) 2 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2012-13/03/5290, द्वारा
 - (ज) 19 नवम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2012-13/22/5429, द्वारा
 - (झ) 8 अक्टूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-2014/27/6721, द्वारा

- (ज) 26 फरवरी 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/22/366, द्वारा
- (ट) 21 अप्रैल 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एन.आर.ओ/ओ.आई.ए.ई./जी.एन.2015-16/002, द्वारा
- (ठ) 30 नवम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/016, द्वारा
- (ड) 15 दिसम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/024, द्वारा
- (ढ) 27 अप्रैल 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/001, द्वारा
- (ण) 17 मई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/002, द्वारा
- (त) 13 जुलाई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/010, द्वारा
- (थ) 27 अप्रैल 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/09, द्वारा
- (द) 31 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/18, द्वारा
- (ध) 13 अगस्त 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/29, द्वारा
- (न) 8 मई 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/15, द्वारा
- (प) 5 अगस्त 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/26, द्वारा
- (फ) 24 जनवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/65, द्वारा
- (ब) 22 जून 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/87, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th December, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (EMPLOYEES' SERVICE) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/111.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2022.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001—
 - II. In regulation 2,
 - i. in sub-regulation (1), the words and symbols “clause (d)” shall be substituted by the words and symbols “clause (g)”; and
 - ii. sub-regulation (2) shall be omitted.
 - III. In regulation 3,
 - i. in sub-regulation (1), in clause (e), in sub-clause (i), the words “The Chairman in the case of officers” shall be substituted by the words and symbol “In the case of officers, the Chairman”.
 - ii. in sub-regulation (3), the words and symbols “the terms 'he', 'him', 'his' and 'himself' shall also refer to 'she', 'her' and 'herself” shall be substituted by the words “words importing the masculine gender shall be taken to include females and transgender persons”.
 - IV. In regulation 5, in sub-regulation (1), before the words “The power”, the words and symbol “Subject to the provisions of these regulations,” shall be inserted.
 - V. In regulation 6, in sub-regulation (4), in clause (b), the words “and promotion” shall be omitted.
 - VI. In regulation 13,
 - i. in sub-regulation (1), in the proviso, the words and symbols “three months notice in writing.” shall be substituted with the words and symbols “three months’ notice in writing subject to due process as approved by the Competent Authority.”;
 - ii. in sub-regulation (6), the word “will” shall be substituted by the word “shall”.
 - VII. Regulation 16 shall be substituted with the following, namely,-

“16. All promotions, upgradation and switchover shall be made at the discretion of the Board and governed by the policies laid down by the Competent Authority from time to time.”
 - VIII. In regulation 36A,
 - i. in the heading, the words “for female employees” shall be omitted;
 - ii. in sub-regulation (1),
 - a. in clause (a) and clause (d), the words “A female” shall be substituted with the word “An”;
 - b. in the proviso to clause (a), clause (e), sub-clause (iii) of clause (e), the word “female” shall be omitted;
 - iii. in sub-regulation (2), the words “A female” shall be substituted with the word “An”;
 - iv. in sub-regulation (4), the word “female”, wherever occurring, shall be omitted;
 - v. in sub-regulation (5),
 - a. in clause (f), clause (i), clause (ia), clause (p) and clause (q), the words “A female” shall be substituted with the word “An”;
 - b. in clause (i), the word “her”, wherever occurring, shall be substituted with the word “his”;
 - c. in the first proviso to clause (ia), in clause (j) and in clause (n), the word “female” shall be omitted;
 - d. in the first proviso to clause (ia), the word “she” shall be substituted with the word “he”;
 - e. in clause (m), the word “Female” and “herself” shall be substituted with the word “An” and “himself” respectively;
 - f. in clause (q), the word “her” shall be substituted with the word “his”;

- IX. In regulation 38, in sub-regulation (3), after the words “An employee of the Board who”, the words and symbols “upon completion of probation under sub-regulation (1) of regulation 10 of these regulations,” shall be inserted.
- X. In regulation 40, after sub-regulation (4), the following sub-regulations (5) and (6) shall be inserted, namely,—
- “(5) A commissioning mother having less than two surviving children, who commissions a child through the applicable legal process, may be granted maternity leave for a period not exceeding 180 days within the overall admissibility of 360 days of maternity leave.
- Explanation 1.** - A “commissioning mother” has been defined in section 3(ba) of the Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961) as “a biological mother who uses her egg to create an embryo implanted in any other woman”.
- Explanation 2.** - For the purpose of this sub-regulation, the period of maternity leave shall be calculated from the date the custody of the child is given to the commissioning mother.
- (6) A female employee with less than two surviving children, on adoption of a child below the age of one year in accordance with the applicable law, may be granted maternity leave for a period of 180 days within the overall admissibility of 360 days of maternity leave, from the date the custody of the child is given to her.
- Provided that the employee furnishes to the Board, the adoption deed or any other document as may be sought by the Board.”
- XI. In regulation 40A, after sub-regulation (2) and before sub-regulation (3), the following sub-regulation (2A) shall be inserted, namely,—
- “(2A) Paternity Leave for a period of fifteen days may also be granted to a male employee with less than two surviving children in a case where fatherhood is a result of surrogacy, within six months from the day the custody of the child is given to him.”
- XII. In regulation 53,
- i. in the heading, the words “the press” shall be substituted by the words and symbols “print, social and digital / electronic media or any other media in public domain”;
 - ii. in sub-regulation (1), the words “the press” shall be substituted by the words and symbols “print, social and digital / electronic media or any other media available in the public domain”;
 - iii. in sub-regulation (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely,—
- “Provided further that wherever such sanction is granted by the Competent Authority for employee’s contribution to any print, social and digital / electronic media or any other media available in the public domain, he shall provide a disclaimer to the effect that the views expressed therein are his own and are not endorsed by the Board.”
- XIII. In regulation 64, after the words “direct or indirect investment in”, the words and symbol “commodity derivatives,” shall be inserted.
- XIV. In regulation 66, sub-regulation (1) shall be substituted by the following, namely,—
- “(1) Every employee shall make a declaration of his assets and liabilities as specified from time to time under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014).
- Provided that till the time the manner of such declaration is specified under Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the employees shall declare their assets and liabilities in the manner as specified from time to time with the approval of the Competent Authority.”
- XV. In regulation 93,
- i. in sub-regulation (2A), before the words “an employee”, the words “In the case of” shall be inserted;
 - ii. in the first proviso to sub-regulation (2A), the word “Rules” appearing before the symbol and number “, 2003” shall be substituted by the word “Scheme”.

- XVI. In regulation 96, after the words “Forms A to C”, the words “as provided in the Appendix of these regulations” shall be inserted.
- XVII. After regulation 96, the following regulation 97 shall be inserted, namely,—
- “Repeal and Savings**
97. (1) On and from the date of commencement of these regulations—
- (a) the terms and conditions of the service of the existing whole-time employees of the Board shall stand modified in accordance with the provisions of these regulations;
- (b) the Securities and Exchange Board of India Service Regulations, 1988 stand repealed.
- (2) Notwithstanding the repeal of Securities and Exchange Board of India Service Regulations, 1988, anything done or any action taken thereunder shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.”
- XVIII. In the Schedule,
- i. Column 4 with the heading ‘Length of service for Promotion’ shall be omitted;
 - ii. in rows 1 and 2, in column 2, the words and symbol “In case of non-availability in any category i.e. internal and deputation/ contract, the post may be filled from other categories.” shall be substituted with the words and symbol “In case of non-availability of candidates in any of the two categories i.e., either in internal or in deputation/ contract category, the available vacancy of one category may be filled up with a suitable candidate from the other category.”;
 - iii. in row 3,
 - a. in column 1, the words and symbol “investigation, finance,” shall be omitted;
 - b. in column 2, the words and symbol “Deputation & Internal Promotion” shall be substituted with the words and symbols “(a) Promotion; (b) Deputation”;
 - iv. in row 4, in column 2, the words “Direct Recruitment and Internal Promotion” shall be substituted with the words and symbols “(a) Promotion; (b) Direct Recruitment”; and
 - v. after the table, in clause 1, under the heading “General / Relaxation”, sub-clause (a) shall be omitted and sub-clauses (b), (c) and (d) shall be renumbered as sub-clauses (a), (b) and (c) respectively;

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./528/2022-23]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) Regulations, 2001, were published in the Gazette of India on 6th September, 2001 vide S.O. No. 857(E).
2. They were subsequently amended –
 - (a) On 23rd December, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI/LE/15/2003.
 - (b) On 25th May, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Amendment) Regulations, 2004 vide S.O. No.623 (E).
 - (c) On 11th April, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No.11/LC/GN/2006/2143.
 - (d) On 14th January, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LADNRO/GN/2009-10/28/190983.
 - (e) On 12th October, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Second Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/17/22954.
 - (f) On 10th October, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Amendment) Regulations, 2011 vide notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/26/31671.

- (g) On 2nd May 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LADNRO/GN/2012-13/03/5290.
- (h) On 19th November 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/223/5429.
- (i) On 8th October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2013 vide notification No. LADNRO/GN/2013-14/27/6721.
- (j) On 26th February, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/22/366.
- (k) On 21st April, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. SEBINRO/OIAE/GN/2015-16/002.
- (l) On 30th November, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/016.
- (m) On 15th December, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/024.
- (n) On 27th April, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/001.
- (o) On 17th May, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/002.
- (p) On 13th July, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/010.
- (q) On 27th April, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/09.
- (r) On 31st May, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/18.
- (s) On 13th August, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/29.
- (t) On 8th May 2019 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/15.
- (u) On 5th August, 2020 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/26.
- (v) On 24th January, 2022 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2022 vide Notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2022/65.
- (w) On 22nd June, 2022 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/87.